आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए का प्रकरण संख्या 90/2015 अनवान् सरकार जरिये संदीप गौड प्रवर्तन अधिकारी (अभि.), श्रीगंगानगर बनाम श्री विषेक मित्तल पुत्र श्री श्रवण कुमार मालिक मैसर्स बालाजी सिरियल्स मिल, ए–8 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, श्रीगंगानगर निवासी 22 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

07.03.2022

आज यह पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री चरण दास कम्बोज उपस्थित हैं। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी भी उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एसबी सिविल रिट पैटीशन नं. 13220/2015 अनवान् श्री बालाजी सिरियल्स मिल, श्रीगंगानगर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से वैबसाईट से डाउनलोड की गई प्रति पेश कर प्रार्थना की है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2022 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2015 एवं नोटिस दिनांक 30.10.2015 को निरस्त कर दिया है और पैटीशनर को जब्तशुदा स्टॉक लौटाने के आदेश दिये है। अतः इस प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री चरण दास कम्बोज ने प्रार्थना की है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पूर्ण पालना की जावे।

मैने पत्रावली और विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत निर्णय का अवलोकन किया। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने निर्णय दिनांक 25.02.2022 में निम्न निर्णय पारित किया है :**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

With the aforersaid observations, the present petitons are allowed, and accordingly the impugned order dated 28.10.2015 & impugned notice dated 30.10.2015 (CWP No. 13220/2015) and impugned notice order dated 04.11.2015, impunged notice dated 30.10.2015 & impugned order dated 27.11.2015- CWP No. 13848/2015 - are quashed and set aside. Accordingly, the stock in question are directed to be released in favour of the petitioners. All pending applications stand disposed of.

चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2022 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.10.2015 एवं नोटिस दिनांक 30.10.2015 निरस्त कर दिये है और स्टॉक प्रार्थी के पक्ष में लौटाये जाने के आदेश दिये है। इसलिए **इस प्रकरण में अप्रार्थी विषेक मित्तल के विरूद्ध इस न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही समाप्त की जाती है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 25.02.2022 की पूर्ण पालना की जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:26 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर